



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16112022-240345
CG-DL-E-16112022-240345

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5091]
No. 5091]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 5311(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पूर्ववर्ती सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 78 (अ), तारीख 04 फरवरी, 1999 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 के किमी 0.000 से किमी 233.000 (विशाखापत्तनम-ओडिशा/आंध्र प्रदेश सीमा खंड) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्राधिकरण को खंडों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत किया :

आंध्र प्रदेश राज्य में एनएच-5 के का.आ. 1124 (अ) दिनांक 16 मई, 2012 द्वारा चंपावती/कोप्परला-विशाखापत्तनम खंड के 49.000 किमी से 2.837 किमी (नई चैनेज किमी 654.204 से किमी 700.544) और राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के का.आ. संख्या 2169 (अ) दिनांक 12 सितंबर, 2012 द्वारा श्रीकाकुलम चंपावती खंड के 97.000 से किमी 49.000 (किमी 606.204 से किमी 654.204) के लिए।

अतः अब केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसके पश्चात् “नियम” कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना का.आ. संख्या 1124 (अ) दिनांक 16 मई, 2012 तथा का.आ. संख्या 2169

(अ) दिनांक 12 सितंबर, 2012 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर ली गई हैं या करने से लोप करा दी गई हैं, आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.16 (पुराना एनएच-5) के रनस्तलम से हनुमंथवाका जंक्शन खंड डिजाइन किलोमीटर 634.000 से किलोमीटर 700.544 (मौजूदा किमी 634.00 से किमी 700.544) हेतु सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर तथा चार और अधिक लेन के खंड के उपयोग के लिए सड़क खंड की निवल लंबाई 65.707 कि.मी. और 8.37 किमी (जिनकी लंबाई 0.837 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) हेतु यांत्रिक वाहनों पर नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर के 100 प्रतिशत पर शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरा वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगा अर्थात् :

सारणी 2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क भुगतान योग्य है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में नाथवलसा गांव के निकट एनएच-16 के किमी/चै. 656.704 पर	65.707 [10 करोड़ से अधिक की लागत के बाईपास और 60 मी. से अधिक लंबाई की संरचना को छोड़कर]	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

सारणी 3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी.)	समकक्ष सड़क की लम्बाई (कि.मी.)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम जिले में नाथवलसा गांव के निकट एनएच-16 के किमी/चै. 656.704 पर	0.837	8.37	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का 100%

विवरण निम्नानुसार है :

चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
कि.मी. से	कि.मी. तक		
641.215	641.285	फ्लाईओवर	0.070
642.939	643.094	कांदिवलासगेदा पर बड़ा पुल	0.155

655.413	655.734	चंपावती नदी पर बड़ा पुल	0.321
675.018	675.309	गोस्तानी नदी पर बड़ा पुल	0.291
	कुल		0.837

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी 4		
संदेय राशि	अनुज्ञात यात्राओं की संख्या	एकतरफा की अधिकतम
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट दर का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार विनिर्दिष्ट शुल्क के बराबर का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना के पूंजीगत लागत का अनुमानित मूल्य 1885.79 करोड़ रूपए है। [पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा।] प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/547/सीओ/21-22/जीसी- विशाखापत्तनम (किमी 634.000 से किमी 700.544)]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th November, 2022

S.O. 5311(E).—Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O.78(E) dated the 04th February 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km. 0.000 to Km. 233.000 (Vishakhapatnam –Orisha/Andhra Pradesh Border Section) of National Highway number 5, in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

Vide S.O. No. 1124 (E) dated 16th May, 2012 for the section Champavati/Kopperla-Visakhapatnam from km. 49.000 to km. 2.837 (new chainage km. 654.204 to km. 700.544) on NH-5 and S.O. No. 2169 (E) dated 12th September, 2012 for the section Srikakulam Champavati section from Km. 97.000 to Km. 49.000 (Km. 606.204 to Km. 654.204) of NH-5 in the State of Andhra Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”) and supersession of the notification S.O. No. 1124 (E) dated 16th May, 2012 & S.O. No. 2169 (E) dated 12th September, 2012 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee on the mechanical vehicles at 100% for the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 65.707 Km. for the use of four and more alone section and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 8.37 Km. (having length of 0.837 km) on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Ranastalam to Hanumanthvaka Junction section from design kilometer 634.000 to kilometer 700.544 (existing Km. 634.000 to Km. 700.544) of National Highway number 16 (Old NH-5) in the State of Andhra Pradesh and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

TABLE 1	
Type of vehicle	Base rate of fee per Km. for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:—

TABLE 2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in Km.) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 656.704 of NH-16 near Nathavalasa village in Vizianagaram district of State of Andhra Pradesh	65.707 (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

2 In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

TABLE 3			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in Km.) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in Km.)	Rate at which fee is payable
At Km/Ch. 656.704 of NH-16 near Nathavalasa village in Vizianagaram district of State of Andhra Pradesh	0.837	8.37	100% for four and more lanes of the base rates mentioned in Table-1 above

The details are as under:—

Chainage		Type of Structure	Length (in Km.)
From Km	To Km		
641.215	641.285	Flyover	0.070
642.939	643.094	Major Bridge on Kandivalasagedda	0.155
655.413	655.734	Major Bridge on Champavathi River	0.321
675.018	675.309	Major Bridge on Gostani River	0.291
	Total		0.837

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is **315.00 (Rupees Three Hundred and Fifteen Only) for the year 2022-23** and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:—

Table 4		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys.	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.
8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.
9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.
10. The estimated capital cost of the project is **Rupees 1885.79 crore**. [The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting, etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately]. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No- NHAI/13013/547/CO/21-22/GC-Visakhapatnam (Km. 634.000 to Km. 700.544)]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.